संचालनालय महिला एवं बाल विकास, म.प्र.

"विजयाराजे वात्सल्य भवन" 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष – 0755–2550928, 2550910 फैक्स – 0755–2550912

ई–मेलःcommwcd@mp.nic.in वेबसाइड : www.mpwcdmis.gov.in

क्रं./मबावि/पोषण आहार/2019–20/क्यू भोपाल, दिनांक 18/04/2020

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
जिला–समस्त
मध्यप्रदेश।

विषयः–नोवल कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संक्रमण की रोकथाम अन्तर्गत कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल व निगरानी के संबंध में।

COVID – 19 संक्रमण के रोकथाम हेतु आवश्यक है कि शरीर में बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। बच्चों में कुपोषण के कारण उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हाने लगती हैं अतः आवश्यक है कि कमजोर अथवा कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की विशेष रूप से देखभाल व निगरानी की जाए। इस हेतु आवश्यक है कि पूर्व में चिन्हित सभी कम वजन, अति कम वजन एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की सतत देखभाल परिवार के मदद से की जावे। इसके लिये परियोजना अधिकारी अपने पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही कर क्षेत्र में निगरानी को सशक्त बना सकते हैः–

- माह फरवरी एवं मार्च 2020 में बच्चों के लिये गये पोषण स्तर के आधार पर **सभी चिन्हित कम वजन एवं अति कम वजन (जिनमें लगभग सभी गंभीर कुपोषित बच्चे शामिल होते है)** वाले बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की सतत निगरानी (वजन एवं लम्बाई/ऊँचाई नही लिया जाना है) किया जावे।
- सभी अति कम वजन के बच्चे को **पूरक पोषण आहार (THR/RTE जो उपलब्ध हो) की निर्धारित अतिरिक्त मात्रा** प्रदाय किया जावे एवं फोन से बच्चे द्वारा पूरक पोषण आहार के प्रतिदिन सेवन की जानकारी सप्ताह में दो से तीन बार ली जावे।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उन सभी परिवारों के जहां कुपोषित बच्चे पूर्व से ही चिन्हित हैं उनका मोबाईल नम्बर अपने पास रखे एवं सप्ताह में कम से कम एक बार फोन अथवा पूरक पोषण आहार के वितरण हेतु गृहभेंट के दौरान परिवार से बच्चों के आहार की स्थिति को पता कर आवश्यकता अनुसार परामर्श दिया जावे।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र से लौटे बच्चों बच्चों के परिवार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सप्ताह में कम से कम दो बार फोन के माध्यम से एवं पूरक पोषण आहार के वितरण हेतु गृहभेंट के दौरान बच्चों के आहार की स्थिति को पता कर आवश्यकता अनुसार परामर्श दिया जावे।
- पर्यवेक्षक द्वारा अपने सेक्टर के विगत तीन माह में पोषण पुनर्वास केन्द्र से लौटे बच्चों के परिवार से प्रत्येक सप्ताह फोन के माध्यम से उनके आहार एवं स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली जावे।

- कुपोषित बच्चो के परिवार के मोबाईल नम्बर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से प्राप्त कर **सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षक द्वारा वाट्सएप ग्रुप** बनाया जा सकता है। प्रति **सेक्टर कुपोषित बच्चों के परिवार संख्या औसतन 120 से 150 के बीच हो** सकती हैं एवं इस ग्रुप में सम्बन्धित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी शामिल कर परिवार को पोषण सम्बंधित जानकारी एवं परामर्श दिया जा सकता है। **ग्रुप के माध्यम से परिवार के साथ बच्चो की** स्वास्थ्य एवं पोषण **स्थिति का भी नियमित निगरानी** की जा सकती है।
- पर्यवेक्षक द्वारा ग्रुप में राज्य से प्रसारित होने वाले स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित जानकारी को भेजा जायें एवं परिवारों के प्रश्नों को अपने संबंधित परियोजना अधिकारी के माध्यम से आवश्यकता होने पर विशेषज्ञयों तक पहुंचा कर उसका उचित समाधान किया जा किया जा सकता है।
- जो बच्चे सीसैम अभियान के दौरान चिन्हित एवं दर्ज किये गये है उन बच्चों को सीसैम अभियान के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित मात्रा में पूरक पोषण आधार (THR अथवा RTE जो भी उपलब्ध हो) प्रदाय किया जाये एवं कार्यकर्ता द्वारा फोन के माध्यम से अथवा गृहभेंट कर प्रति सप्ताह बच्चे के आहार लेने की स्थिति की जानकारी ली जाए।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों के छुट्टी उपरान्त परियोजना अधिकारी द्वारा अपने संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी से सूची लेकर संबंधित पर्यवेक्षक एवं आगंनवाड़ी कार्यकर्ता को सूचित किया जावे जिससे बच्चे को निर्धारित पूरक पोषण आहार की अतिरिक्त मात्रा दी जा सके, साथ ही बच्चे के पोषण स्थिति की निगरानी मोबाईल फोन एवं गृहभेंट के माध्यम से की जा सके।
- कुपोषित बच्चों के परिवार को परामर्श (फोन अथवा गृहभेंट के माध्यम) के दौरान कोरोना (COVID -19) के संक्रमण के लक्षणों एवं अन्य चिकित्सकीय जटिलता के लक्षणों की जानकारी दी जाये तथा ऐसी स्थिति में सम्पर्क किये जाने वाले फोन नम्बर को भी बताया जावे।
- 6 माह से 5 वर्ष के सभी बच्चों द्वारा सप्ताह में दो बार आयरन सीरप के खुराक सेवन की सलाह दी जावे एवं फोन के माध्यम से आयरन सेवन की जानकारी भी ली जाए।
- आंगनवाड़ी कायकर्ता द्वारा सभी चिन्हित कुपोषित बच्चों की जानकारी फोन से संबंधित सरपंच एवं सचिव को दी जाये जिससे इन परिवारों को शासन के अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

<u>आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्येक बार अपने परामर्श में निम्नांकित बातों को जोड़ कर कुपोषित बच्चों के परिवार को सलाह दिया जायेः–</u>

- 6 माह से कम आयु के बच्चों के परिवार से सप्ताह में एक बार अवश्य चर्चा करे एवं स्तनपान की स्थिति ज्ञात कर आवश्यकतानुसार मां को अच्छी तरह से परामर्श देवे।
- स्तनपान से कोविद–19 का विषाणु नहीं फैलता है। हर माँ को अपने बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान के समय माँ छिकने या खासने मे सावधानी रखे।
- 6 माह से 12 माह के बच्चे को घर का पका हुआ ताजा भोजन अच्छे से मसल कर **दिन में तीन से चार बार खिलाये** एवं स्तनपान भी जारी रखें।

- 1 वर्ष की आयु से बड़े बच्चों को दिन में चार से पांच बार खिलायें साथ में शाम को एक अतिरिक्त नाश्ता जैसा आहार अवश्य दे। दो वर्ष की आयु तक आहार के साथ साथ स्तनपान भी जारी रखें।
- बच्चों को दिये जाने वाले आहार में अलग से **खाने वाला तेल अथवा घी, गुड़ को मिलाया जाये जिससे बच्चे को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होगी एवं बच्चो को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसमी फल– साग सब्जियां** भी पर्याप्त मात्रा में दिया जाये जो उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दिये गये पूरक पोषण आहार (THR/RTE) को घर में पके खाने के अतिरिक्त बच्चे को दिन में एक से दो बार अवश्य खिलायें।
- परिवार के सदस्य **प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को बच्चे को खाना खिलाने उपरांत दोपहर में या रात में सोने से पहले 1 एम. एल. आयरन सीरप ध्यान से पिलायें**। परिवार को बतायें आयरन की दवा कभी भी खाली पेट न देवें।
- यदि बच्चे में किसी भी प्रकार की **बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो तुरन्त अपने गांव की आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता** को सूचित करे।
- बच्चों के हा**थ को बार बार साबुन एवं पानी से अच्छे से धोए** एवं उन्हे खाना खिलाने से पहले एवं बाद तथा शौच कराने के बार भी हाथ व मुह को साबुन व पानी से साफ करे।
- माता भी अपने स्वच्छता का ध्यान रखे। खाना खिलाने एवं स्तनपान के पूर्व अपने हाथों को अच्छी तरह से धोए।

अतः उपराक्तानुसार आप आपने अधीनस्त सभी परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी कर प्राथमिकता के अधार पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

(नरेश पाल कुमार)
आयुक्त
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

पृष्ठा.कं./म.बा.वि./पोषण आहार/2019–20/क्यू भोपाल, दिनांक 18/04/2020

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. कलेक्टर, जिला समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश